APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

बालमुकन्द बनाम सन्तराम वगै.

किस्म मुकदमा 88-89 RTAct नं. 27 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-3-19	वाद वादी बालमुकन्द की ओर से अभिभाषक श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा उपस्थित होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.03.2019 को पेश हो।	
12-3-19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 ने उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने कथन किये कि हम प्रतिवादी नं0 2, 3, 5, 6 अपना हिस्सा वादी बालमुकुन्द, प्रतिवादी नं0 1 सन्तराम को व प्रतिवादी नं0 7 व 8 प्रतिवादी नं0 4 जानकीलाल के पक्ष में हकत्याग करते है। विवादित अराजीयात ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 203 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 204 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 206 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 294/598 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.36 हे0 भूमि में वादी बालमुकुन्द 1/4 व प्रतिवादी नं0 1 सन्तराम को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 4 जानकीलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। इस प्रकार राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावें। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जानें का निवेदन किया। वादी की पहचान वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित आराजी ख0नं0 203 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 204 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 206 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 294/598 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 4 रकबा 3. ~~36 हे0 भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी~~	वादी - बालमुकन्द शिवप्रसाद Advocate प्रतिवादी नं0 1 सन्तराम अंगूठा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किये हुक्म की तामील में जारी हुए

नं0 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जानें की रिलीफ चाही है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा पर विधिक विचारण किया। विवादित आराजी वर्तमान में बालमुकुन्द संतराम पुत्र सुगनाबाई पुत्री भूलीबाई बेवा प्रेमचंद हिस्सा 1/6 जानकीलाल पुत्र व रामप्यारी, जशोदा, बादाम बाई, द्वारकाबाई पुत्रियां नंदकिशोर हिस्सा 5/6 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 2, 3, 5 व 6 अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी नं0 1 के पक्ष में तथा प्रतिवादी नं0 7 व 8 द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी नं0 4 के पक्ष में हकत्याग किये जानें बाबत् लिखित सहमति प्रकट की गई है। इकबालिया जवाब पर अंकित पारिवारिक सजरे अनुसार प्रतिवादी नं0 2 व 3 वादी व प्रतिवादी नं0 1 की बहिन व मां है तथा प्रतिवादी नं0 5 व 6 बुआ है एवं प्रतिवादी नं0 7 व 8 प्रतिवादी नं0 4 की बहिने है जो अपनें भाई, पुत्र व भतीजों को नियमानुसार हकत्याग कर सकती है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 उक्त भूमि को ग्राहण करनें के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 2, 3 व 5 लगायत 8 द्वारा विवादित आराजी में से अपनें स्वत्व त्यागनें तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 के द्वारा ग्रहण करनें के परिणामस्वरूप राजकीय हानि होना जाहिर आता है। ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 203 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 204 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 206 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 294/598 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.36 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 2 सुगना बाई पुत्री प्रेमचंद, प्रतिवादी नं0 3 भूलीबाई बेवा प्रेमचद व प्रतिवादी नं0 5 लगायत 8 क्रमशः रामप्यारी, जशोदा, बदामबाई, द्वारकाबाई पुत्रियां नंदकिशोर का नाम डिलीट किया जावें तथा विवादित आराजी में वादी बालमुकुन्द को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी नं0 1 संतराम को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी नं0 4 जानकीलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से सुगना बाई पुत्री प्रेमचंद, भूलीबाई बेवा प्रेमचंद, रामप्यारी पुत्री नंदकिशोर, जशोदा पुत्री नंदकिशोर के हिस्से की तथा प्रतिवादी नं0 4 से बदामबाई, द्वारकाबाई पुत्रियां नंदकिशोर के हिस्से की नियमानुसार हकत्याग की मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 12/03/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

बालमुकुन्द आत्मज प्रेमचंद जाति मीना निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. संतराम आत्मज प्रेमचंद
2. सुगना बाई पुत्री प्रेमचंद
3. भूलीबाई बेवा प्रेमचंद
4. जानकीलाल आत्मज नंदकिशोर जाति मीना निवासीगण धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा
5. रामप्यारी पुत्री नंदकिशोर पत्नी पृथ्वीराज जाति मीना निवासी सनीजा बावडी तहसील दीगोद जिला कोटा
6. जशोदा पुत्री नंदकिशोर पत्नी प्रभूलाल जाति मीना निवासी जंहागीरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
7. बदामबाई पुत्री नंदकिशोर पत्नी छीतरलाल जाति मीणा निवासी देदियाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
8. द्वारकाबाई पुत्री नंदकिशोर पत्नी रामेश्वर जाति मीना निवासी धनसूरी तहसील दीगोद
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर. टी. एक्ट

मिसल नम्बर–27/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 203 रकबा 0.65 हे0, ख0नं0 204 रकबा 1.02 हे0, ख0नं0 206 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 294/598 रकबा 0.24 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.36 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 2 सुगना बाई पुत्री प्रेमचंद, प्रतिवादी नं0 3 भूलीबाई बेवा प्रेमंचद व प्रतिवादी नं0 5 लगायत 8 क्रमशः रामप्यारी, जशोदा, बदामबाई, द्वारकाबाई पुत्रियां नंदकिशोर का नाम डिलीट किया जावें तथा विवादित आराजी में वादी बालमुकुन्द को 1/4 हिस्से, प्रतिवादी नं0 1 संतराम को 1/4 हिस्से तथा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी नं0 4 जानकीलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 से सुगना बाई पुत्री प्रेमचंद, भूलीबाई बेवा प्रेमचंद, रामप्यारी पुत्री नंदकिशोर, जशोदा पुत्री नंदकिशोर के हिस्से की तथा प्रतिवादी नं0 4 से बदामबाई, द्वारकाबाई पुत्रियां नंदकिशोर के हिस्से की नियमानुसार हकत्याग की मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। " तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 12/03/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner